न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 78/2025

अनवान : –

1. किशनलाल पुत्र भीखमचन्द जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मकसूद खां पुत्र सलाउदीन पठान जाति मुसलमान साकिन पुराने पुलिस थाना के पिछे वार्ड न. 34 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा गैरसायल स0 1

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता स0 98/94 के ख0न0 156 की 2.6180 हैक्ट भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल एवं दावा में तरतिबी प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 150/145 के ख.न. 154 की 0.4810 हैक्टेयर भूमि में गैरसायल न. 1 का बालाजी फलोर मील के नाम से एक प्लाट है। सायल एवं दावा में तरतिबी प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के ख.न. 156 की 2. 6180 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ काफी वर्षों पुरानी सींव बनी हुई जिसे सदामत से शांतिपूर्वक कास्त करते आ रहें हैं सायल एवं दावा में तरतिबी प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के ख.न. 156 की 2. 6180 हैक्टेयर भूमि के चिपते हुए पश्चिमी साईड में ख.न. 154 की 0.4810 हैक्टेयर गुमि में गैरसायल न. 1 का बालाजी फलोर मील के नाम से एक प्लाट है जो प्रभावशाली एवं ताकतवर व्यक्ति है जो ताकत के बल पर सायल एवं दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के ख.न. 156 की 2.6180 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ काफी वर्षों पुरानी सींव बनी हुई है को जबरदस्ती तोड़कर ख.न. 156 की 2.6180 हैक्टेयर भूमि में घुसने की योजना बना रहा है यदि गैरसायल न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल एवं दावा में तरतिबी प्रतिवादीगण को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है इसलिए सायल, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लिहाजा प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि जावे कि वोह विवादित भूमि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के ख.न. 156 की 2.6180 हैक्टेयर में प्रवेश नहीं करे एवं विवादित भूमि की मोके कि यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 156 की 2.6180 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि की सींव व डोल को मिस्मार न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उपरोक्त भूमि जो की औ०क्षेत्र नोहर में भूखण्ड संख्या एफ–20 क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 31.03.1998 को आपके पक्ष में किया गया है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार आवटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा आवंटन तिथि से 120 दिन में लिये जाने का प्रावधान है। आप द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरांत ही भूखण्ड में पाई गई 1688 वर्गमीटर अधिक भूमि को नियमित करते हुए भूखण्ड के अब कुल क्षेत्रफल 3668 वर्गमीटर हेतु लीज डीड का निष्पादन दि० 19.07.2006 को मेरी फर्म के पक्ष में किया गया तथा उपरांत मेरे द्वारा आवंटित भूखण्ड के कब्जा प्राप्त कुल क्षेत्रफल 3688 वर्गमीटर में से पंजीकृत वैयनामा दिनांक 21.09.2006 द्वारा 540 वर्गमीटर भूमि श्रीमती सिमरण देवी पत्नि श्री मुकेश कुमार खदरिया २० गोनिका इन्डस्ट्रीज के पक्ष में बेचान करते हुए कब्जा मौका भी 21. 09.2006 को क्रेता को सुपूर्द कर दिया गया। इसके उपरांत मेरे द्वारा भूखण्ड की शेष बची हुई भूमि में से जरिये पंजीकृत वैयनामा दिनांक 04.02.2021 एव 27.07.2021 द्वारा कुल 1480 वर्गमीटर भूमि क्रेता श्री समर केडिया पुत्र श्री मुकेंश केडिया को बेचान करते हुए उनको विक्रय भूमि का कब्ता मौका सुपूर्द कर दिया गया। इसके पश्चात भूखण्ड संख्या एक–20 की शेष बची भूमि 1668 वर्गमीटर को केता श्री रवि कुमार पुत्र श्री भंवरा राम के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेज मैग्रनामा दिनांक 04.04 2025 द्वारा बेचान करते हुए कब्जा मौका सुपूर्द किया गया तथा शेष भूखण्ड उतरदाता के कब्जाकाश्त में चला आ रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 156 की 2.6180 हेक्ट भूमि कीं अप्रार्थी स0 1 द्वारा जबरन सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है अत अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको हनुमानगढ़ के पत्रांक 1356 दिनांक 22.22.2025 की चित्रप्रति के मुताबिक 3688 वर्ग मीटर भूमि की लीज डिड का निष्पादन दिनांक 19.07.2006 को मैसर्स बालाजी फ्लोर मील मकसूद अली के पक्ष में होने के कारण 3688 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा अप्रार्थी स0 1 को होना स्वीकार किया गया है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 25.03.2025 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर